

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./166/2008/

1159

भोंपाल,दिनांक: 18/8/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत् शाला का नाम	कार्यरत् निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती वीलम सिंह राज, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.भौरझिर जिला नरसिंहपुर	जनपद पंचायत चॉवरपाठा जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 966 दि. 26.06.08	जनपद पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र. 414 दि. 19.06.08 1. शा.प्रा.शा.पडरिया 2. शा.प्रा.शा.खिरवा 3. शा.मा.शा.कटंगी कलौ
2	श्रीमती ममता पटेल, अध्यापक, शा.मा.वि.ददरोड़ी जिला उमरिया	जिला पंचायत उमरिया जा.क्र. 1858 दि. 18.07.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 2294 दि. 18.07.08 1. शा.मा.शा.घुंसौर
3	श्रीमती सविता पटेल, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.मझगवौं जिला उमरिया	जनपद पंचायत करकेली जिला उमरिया जा.क्र. 740 दि. 04.07.08	जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क्र. 711 दि. 13.07.08 1. शा.मा.शा.करारी पाटन
4	श्रीमती प्रमिला प्रजापति, सहायक अध्यापक, शा.हाईस्कूल मुंगवानी कलौ जिला सिवनी	जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क्र. 226 दि. 18.07.08	जनपद पंचायत सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा जा.क्र. 297 दि. 23.06.08 1. शा.उ.मा.वि.बेरडी
5	श्रीमती स्मिता पटेल, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.सरई जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 7941 दि. 16.07.08	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. 482 दि. 18.07.08 1. उन्न.मा.शा.लखवार मैहर 2. शा.हाईस्कूल इटमा

	1	2	3
6	श्रीमती लक्ष्मी राजपूत, अध्यापक, शा.मा.शा.खम्हरिया गर्दा पनागर जिला जबलपुर	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क. 6929 दि. 16.07.08	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क. 2705 दि. 17.07.08 1. शा.मा.शा.मूरपार कटनी
7	श्रीमती उषा पाठक, अध्यापक, शा. मा.शा.भरतपुरा जिला छतरपुर	जनपद पंचायत बिजावर जिला छतरपुर जा.क. 1741 दि.14.07.08	नगर पंचायत बण्डा जिला सागर जा.क. 972 दि. 01.07.08 1. शा.नवीन बा.मा.वि.बण्डा
8	श्रीमती अनीसा खातून, अध्यापक, शा.नवीन मा.वि.तमुरिया जिला कटनी	जनपद पंचायत बहोरीबंद जिला कटनी जा.क. 321 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क. 724 दि. 17.04.08 1. शा.मा.शा.पौडी राजघाट 2. शा.हाईस्कूल मुरई
9	श्रीमती वंदना डेहरिया, सहायक अध्यापक, शा. प्रा.शा.पिपरिया फतेहपुर जिला छिंदवाड़ा	जनपद पंचायत चौरई जिला छिन्दवाड़ा जा.क. 381 दि. 10.07.08	जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क. 207 दि. 125.07.08 1. शा.प्रा.वि.मरझौर 2. शा.प्रा.वि.सोनाडागरी
10	श्रीमती नन्दा निनावे, अध्यापक, शा.मा.वि.छपरिया जिला शाजापुर	जिला पंचायत शाजापुर जा.क. 3872 दि.14.07.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क. 6974 दि. 17.07.08 1. शा.उ.मा.वि.चरगवॉ

**संविलियन की शर्तें :-**

- यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
- तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।-
- तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
- तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
- संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
- अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।

*me*

8. शिक्षाकर्मी का अध्यापक संवर्ग में संबिलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संबिलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधधीन की गई है । अतः उक्त संबिलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"




उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पुष्ठा.क./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./166/2008/ 1160 भोपाल,दिनांक: 18/8/18  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संबिलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संबिलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी, एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएँ । उपरोक्त प्रकरणों में संबिलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।



उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./178/2008/

मीपाल,दिनांक: 18/8/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती संध्या परते, सहायक अध्यापक, शा.बा.प्रा.शा.मुआर जिला रायसेन	जनपद पंचायत सिलवानी जिला रायसेन जा.क्र. 666 दि. 16.07.08	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क्र.1413 दि. 06.08.08 1.शा.प्रा.शा. खजरी,पनागर
2.	श्रीमती जानकी श्रीवास्तव, अध्यापक, शा.मा.वि.आरौली, मुरार जिला ग्वालियर	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र.3094 दि. 04.08.08	जनपद पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क्र.1731 दि. 30.07.08 1. शा.कन्या मा.वि.सतनबाड़ा
3.	श्रीमती भारती यादव, अध्यापक, शा.नवीन मा. शा.गाडरापुर टिमरनी जिला हरदा	जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा जा.क्र.1484 ए दि. 21.05.08	नगर पंचायत मुलताई जिला बैतूल जा.क्र.898 दि. 16.05.08 1.शा.नवीन हाईस्कूल मुलताई
4.	श्रीमती गणेशी सौलंकी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.नामनपुर जिला देवास	जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास दि. 1545 दि. 31.07.08	जनपद पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र. 2019 दि. 17.07.08 1.शा.प्रा.वि.भिचौली हप्सी 2.शा.मा.वि.गोतकखुर्द


**संविलियन की शर्त :-**

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।

*M*

4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मी का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जाबक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


  
उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./164/2008/1156 भोपाल, दिनांक: 18/8/18  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।



7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
12/12/08  
उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./160/2008/

1157  
//आदेश//

भोपाल, दिनांक-18/8/18


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में सहायक अध्यापक पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर सहायक अध्यापक को एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित सहायक अध्यापक को तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में पारस्परिक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जाचक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जाचक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्री आशीष शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. सेमलखेड़ा जिला धार	जनपद पंचायत बदनावर जिला धार जा.क्र. 1436 दि. 03.05.08	जनपद पंचायत आलोट जिला रतलाम जा.क्र. 599 दि. 19.05.08 शा.प्रा.वि. कोटकराडिया
2	श्री भेरूसिंह बघेल सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. कोटकराडिया जिला रतलाम	जनपद पंचायत आलोट जिला रतलाम जा.क्र. 599 दि. 19.05.08	जनपद पंचायत बदनावर जिला धार जा.क्र. 1436 दि. 03.05.08 शा.प्रा.वि. सेमलखेड़ा

परस्पर

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों। -
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होष्य ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।



10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।

11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायो द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायो द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।  
आयुक्त द्वारा अनुमोदित

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक-18/8/08

पृष्ठा. क्र0/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./160/2008/ 1158

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश




9	श्रीमती ऋतु सेन अध्यापक उन्नयन शा.मा.शा. बानपुरा जिला सिवनी	जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क्र. 245 दि. 18.07.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 7305 दि. 30.07.08 शा.हाईस्कूल रिठौरी
10	श्री राजेन्द्र सिंह लोधी अध्यापक (विकलांग) शा.मा.शा. घोरई जिला छतरपुर	जनपद पंचायत बकस्वाहा जिला छतरपुर जा.क्र. 705/3 दि. 16.07.08	जनपद पंचायत पथरिया जिला दमोह जा.क्र. 26 दि. 29.07.08 शा.न.मा.शा. बोर्डी
11	श्रीमती नजमा सुल्ताना सहायक अध्यापक शा.क.मा.वि. सारंगपुर जिला राजगढ़	नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ़ जा.क्र. 574 दि. 10.07.08	जनपद पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. 1070 दि. 01.07.08 शा.क.प्रा.वि. सुनैरा शा.क.प्रा.वि. पनवाड़ी शा.प्रा.वि. गिरवर
12	श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक अध्यापक (विकलांग) शा.प्रा.शा. अमरवां जिला छतरपुर	जनपद पंचायत बड़मलहरा जिला छतरपुर जा.क्र. 1155 दि. 05.07.08	जनपद पंचायत पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 1302 दि. 07.07.08 शा.प्रा.शा. बरैया शा.प्रा.शा. मजरा सूरी
13	श्रीमती रश्मि खटीक सहायक अध्यापक शा.प्रा.क.शा. अमाना जिला दमोह	जनपद पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क्र. क्यू दि. 30.06.08	जनपद पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 4840 दि. 25.07.08 शा.प्रा.शा. भैसा पहाड़ी शा.प्रा.शा. सानोधा
14	श्रीमती रामप्यारी मांको सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. डिमरीला जिला टीकमगढ़	जनपद पंचायत बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 991 दि. 25.07.08	जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 2178 दि. 28.07.08 शा.प्रा.शा. पड़वार
15	श्रीमती आशा वशिष्ठ सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. गांधीनगर जिला धार	जनपद पंचायत निसरपुर जिला धार जा.क्र. 1683 दि. 10.07.08	जनपद पंचायत तराना जिला उज्जैन जा.क्र. 1990 दि. 21.07.08 शा.प्रा.वि. भेरूपुरा काचथा
16	श्रीमती रेखा कुशवाह सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.वि. डेहरवारा जिला शिवपुरी	जनपद पंचायत कोलारस जिला शिवपुरी जा.क्र. 726 दि. 25.07.08	जनपद पंचायत मुरौर जिला ग्वालियर जा.क्र. 3056 दि. 29.07.08 शा.प्रा.बा.वि. सोनी
17	श्रीमती रामकली निहाले सहायक अध्यापक शा.क.मा.वि. पानीगांव जिला देवास	जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास जा.क्र. 1568 दि. 04.08.08	जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन जा.क्र. 2685 दि. 02.08.08 शा.मा.वि. कितूद
18	कु. ममता रस्तोरे सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. भिड़ोला खुर्द जिला धार	जनपद पंचायत धार जिला धार जा.क्र. 1034 दि. 15.07.08	जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन जा.क्र. 2687 दि. 02.08.08 शा.प्रा.वि. कितूद
19	श्रीमती रोधा यादव सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. सुवासरा जिला मंदसौर	जनपद पंचायत सीतामऊ जिला मंदसौर जा.क्र. 1628 दि. 16.06.08	जनपद पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र. 2496 दि. 18.07.08 शा.प्रा.वि. जामुनिया कलां शा.प्रा.वि. भाटखेड़ा शा.प्रा.वि. चल्दू
20	श्रीमती सुब्रता लहारिया सहायक अध्यापक शा.हाईस्कूल रागपुर जिला गुना	जनपद पंचायत आरोन जिला गुना जा.क्र. 2683 दि. 01.08.08	जिला पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.क्र. 5099 दि. 01.08.08 शा.हाईस्कूल बराकलां

**संविलियन की शर्तें -**

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ष एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

**आयुक्त द्वारा अनुमोदित**

  
उप संचालक


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 18.8.08

पृष्ठा. क्र0/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./026/2008/020

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Thirty Seven-N.P.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए+डी/अजिनि संवि./10/2008/ 13

भोपाल, दिनांक 20/08/08

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती अंजुम आरा सहायक अध्यापक (उर्दू) शा. मावि वार्ड क्र. 13 जिला-छतरपुर	नगर पालिका परिषद् छतरपुर जिला-छतरपुर जा.क्र. 2527, दि.04.07.08	नगर निगम, जबलपुर जिला-जबलपुर जा.क्र. 132, दि. 28.07.08 शा. उर्दू प्रावि बड़ी मदार टेकरी

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।



6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/08/08

पृष्ठा. क्र०/शि.क./ए+डी/अजिनि संवि./10/2008/14  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश